

**झारखण्ड सरकार**  
**खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग**

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित समावेशन एवं अपवर्जन मानक -

• समावेशन मानक :-

- (a) 60 वर्ष अधिक उम्र के सभी व्यक्ति जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/निगर पालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित न हों।।
- (b) सभी विधवा एवं परित्यक्ता जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/निगर पालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित न हों।।
- (c) वैसे सभी निःशक्त व्यक्ति जिनकी विकलांगता का प्रतिशत 40 या इससे अधिक हो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/निगर पालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित न हों।।
- (d) सभी आदिम जन जाति सदस्य जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/निगर पालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित न हों।।
- (e) कैंसर, एड्स, कुष्ठ जैसे असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/निगर पालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित न हों।।

अपवर्जन मानक :-

- (a) परिवार का कोई भी सदस्य जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/निगर पालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित हों।
  - (b) परिवार का कोई सदस्य जो आयकर/सेवा कर/व्यवसायिक कर देता है।
  - (c) परिवार का सदस्य झारखण्ड वैट अधिनियम के तहत पंजीकृत Assessee है।
  - (d) परिवार पौंच एकड़ अथवा उससे अधिक भूमि का स्वामी है।
  - (f) परिवार के किसी सदस्य के नाम से दो पहिया/तीन पहिया अथवा चार पहिया मोटर वाहन है।
  - (g) परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक है।
  - (h) परिवार का कोई सदस्य संवेदक के रूप में निर्बंधित है।
  - (i) परिवार के किसी सदस्य के नाम से 2kVA या उससे अधिक का विद्युत संयोग निर्गत है।
  - (j) वैसे परिवार जिनके पास रेफ्रिजरेटर/कम्प्यूटर/लैपटॉप/एयर कंडिशनर है।
- उपरोक्त मानकों में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

DEPARTMENT OF FOOD, PUBLIC DISTRIBUTION & CONSUMER AFFAIRS


GOVT. OF JHARKHAND

SECC RURAL DATA EXCLUSION CRITERIA

- 1 HAVING GOVT. JOB
- 2 HAVING PUBLIC SECTOR JOB
- 3 PAY INCOME TAX
- 4 ENTERPRISE REGISTERD WITH GOVT
- 5 MONTHLY INCOME GREATER THAN 10000
- 6 HAVING TWO WHEELER
- 7 HAVING THREE WHEELER
- 8 HAVING FOUR WHEELER
- 9 HAVING FISHING BOAT
- 10 TOTAL LAND GREATER THAN 5 ACRE

SECC RURAL DATA EXCLUSION CRITERIA

- 1 EXCEPT TWO WHEELER THREE WHEELER
- 2 MORE THAN 10 ACRE LAND
- ALL CRITERIA REMAIN SAME



District Cd	District Name	Total HH	Excluded HH	% of Elimination	EXCLUDED HH	% OF ELIMINATION
1	GARHWA	226914	44312	19.52810316	22548	9.936804252
2	CHATRA	173940	32887	18.9070944	17161	9.866045763
3	KODERMA	96214	21579	22.42812896	10463	10.87471678
4	GIRIDIH	382812	89602	23.40626731	43311	11.31390865
5	DEOGHAR	216038	43460	20.1168313	20540	9.507586628
6	GODDA	240865	56178	23.32343844	30516	12.6693376
7	SAHRBAGUNI	199717	38162	19.10803787	18913	9.469899908
8	PAKUR	173437	29312	16.90066134	12686	7.314471537
9	DHANBAD	259731	88252	33.97823132	57633	22.18949606
10	BOKARO	279118	83880	30.05180605	52644	18.86084022
11	LOHARDUGGA	79816	17258	21.62223113	8062	10.10073168
12	PURVI SINGHBHUM	295657	108023	36.53659477	46473	15.71855224
13	PALAMU	323775	67301	20.78634854	41832	12.92008335
14	LATEHAR	128854	24127	18.72429261	12146	9.426172257
15	HAZARIBAGH	277832	73593	26.48830948	35967	12.94559302
16	RAMGARH	155771	58671	37.66490553	39283	25.21842962
17	DUMKA	261753	42278	16.15186836	21732	8.302483639
18	JAMTARA	125043	22800	18.2337276	10816	8.64982446